क्रम-संख्या—192

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी.. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 अगस्त, 2005

श्रावण 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1031/सात-वि-1—1(क) 26-2005

लखनऊ, 11 अगस्त, 2005

अधिसूचना

विधि

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "सचिव" जहां कही भी आया हो, जिसके अन्तर्गत परिभाषा भी है, के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सात हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "और 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "और 1 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीस हजार रुपये" रख दिये जायें,

धारा 13 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"13–(1) प्रत्येक सदस्य, जब वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है, और उसका टिकट प्रस्तुत करता है, तब उसे ऐसे टिकट की धनराशि का भुगतान प्रमुख सचिव द्वारा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना किसी भी समय उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस-पास का भी हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।"

धारा 15 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18–क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 18–क में, खण्ड (क) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1–क) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा अर्थात् :

"परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी सरकारी धन का बकाया हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जाएगी।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 4 का संशोधन

11–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

मूल्यों में वृद्धि और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि जनहित में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों को अनुमन्य भत्तों, रेलवे कूपन और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन और रेलवे कूपन में वृद्धि की जाय। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों के भत्तों और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1031/VII-V-1–1(KA)-26-2005
Dated Lucknow, August 11, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari Sukh Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 10, 2005.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2005

(U. P. ACT No. 21 OF 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature Members and Officers Amenities Laws (Amendment) Act, 2005.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980

General Amendment in U.P. Act no. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to in this chapter as the principal Act, *for* the word "Secretary" wherever occurring including definitions the words "Principal Secretary" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, *for* the words "seven thousand five hundred rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *for* the words and figures "and not exceeding one lakh twenty thousand rupees per annum from April 1, 2004" the words and figures "and not exceeding one lakh twenty thousand rupees per annum from April 1, 2004 and not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum from June 1, 2005" shall be *substituted*.

(b) in sub-section (2) *for* the words "twenty thousand rupees" the words "thirty thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 13

5. *For* section 13 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:–

"13-(1) Every member, when he travels within Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus including air condition or deluxe bus and submits ticket thereof the amount of such ticket shall be paid to him by the Principal Secretary.

(2) The facility referred to in sub-section (1) may also be availed by a member for taking one companion with him in the bus.

(3) Every person who is entitled to a pension under Chapter VIII shall be entitled, in the manner prescribed with a free non-transferable pass to travel at any time within Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus without payment of the passenger tax due under any law for the time being in force.

(4) The pass referred to in sub-section (3) may also be used by such person for taking one companion alongwith him in the bus:

Provided that if a person referred to in sub-section (3) travels in an air-condition bus or a deluxe bus he shall have to bear himself the excess amount of fare difference.

Amendment of section 15

6. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "three hundred rupees" the words "five hundred rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 15-A

7. In section 15-A of the principal Act, *for* the words "two thousand five hundred rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 18-A

8. In section 18-A of the principal Act, in clause (a) *for* the words "two thousand rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 24

9. In section 24 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *for* the words "two thousand rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted*;

(b) in the proviso *for* the words "two hundred fifty rupees" the words "three hundred rupees" shall be *substituted*.

10. In section 28 of the principal Act, in sub-section (1-A), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:— Amendment of section 28

"Provided that if any other Government dues are reported to be outstanding against such person, whether it is for the period of his membership or for the period he is ceased to be a member shall also be deducted from the pension of such person.'

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS SALARIES AND ALLOWANCES) ACT, 1952

11. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, in sub-section (3) *for* the words "five thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted.* Amendment of section 4 of the U.P. Act no. 11 of 1952

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of price rise and increase of responsibilities, it has been considered expedient in public interest to revise, the allowances, railway coupons and other amenities admissible to the members, and the officers of the State Legislature and to increase the pension and railway coupons admissible to ex-members. It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 to revise the allowances and other amenities of the members and officers of the State Legislature.

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers Amenities Laws (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 361 राजपत्र-(765)-2005-597-कम्प्यूटर/आफसेट
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 75 सा० विधायी-(766)-2005-850-कम्प्यूटर/आफसेट